न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 14 / 19 दिनांकः—27.09.2019

1. जुगल किशोर पुत्र स्व. श्री घीसाराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री घीसाराम
3. बसंती देवी पत्नि स्व. श्री घीसाराम

समस्त जाति प्रजापत निवासी ग्राम तिहावली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. पटवारी पटवार हल्का तिहावली तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
2. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शीला

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 160 रकबा 3.51 हैक्टेयर वाके ग्राम तिहावली तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है।

प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय उपरोक्त खेत खसरा की भूमियों में प्रार्थी संख्या 1 का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में जुगलकिशोर के स्थान पर गुलाराम तथा प्रार्थी के पिता का नाम घीसाराम के स्थान पर घासीराम अंकित हो गया था जो कि गलत होने से प्रार्थीगण उसे संशोधन करवाने के अधिकारी है।

प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामन्तरकरण दर्ज करते समय उपरोक्त खेत खसरा की भूमियों में प्रार्थी संख्या 2 का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजकुमार तथा प्रार्थी के पिता का नाम घीसाराम के स्थान पर घासीराम अंकित हो गया था जो कि गलत होने से प्रार्थी उसे संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थीगण के समस्त लोक दस्तावेज व प्राईवेट दस्तावेज में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति का नाम घीसाराम अंकित है तथा प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति का नाम प्रारम्भ से ही घीसाराम चला आ रहा है।

प्रार्थी संख्या 01 के समस्त लोक दस्तावेजात व प्राईवेट दस्तावेज में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम जुगल किशोर पुत्र घीसाराम चला आ रहा है प्रार्थी के स्कूल रिकॉर्ड व राशन कार्ड व आधारकार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम जुगल किशोर पुत्र श्री घीसाराम ही अंकित है, इसलिये प्रार्थी अपने खाता की कृषि भूमि में अपना व अपने पिता का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी संख्या—2 के समस्त लोक व प्राईवेट दस्तावेजात में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र घीसाराम चला आ रहा है। प्रार्थी के स्कूल रिकॉर्ड, राशनकार्ड व आधारकार्ड में भी प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री घीसाराम ही अंकित है। इसलिए प्रार्थी अपने खाता की कृषि भूमि में अपना व अपने पिता का नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

प्रार्थी संख्या 3 के समस्त लोक दस्तावेज व प्राईवेट दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, पता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी संख्या 3 के पति का नाम प्रारम्भ से ही घीसाराम अंकित है। इसलिए प्रार्थी संख्या 3 अपने खाते की कृषि भूमि में अपने पति का नाम संशोधन करवाने की अधिकारी है।

उक्त विवादित आराजी के अन्य खातेदारान के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहने से सह खातेदार को प्रार्थना पत्र में पक्षकारान संयोजित नही किये गये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी ने जबाब पेश कर कथन किया है कि विवादित आरजी खसरा नम्बर 160 व 298 कुल रकबा 5.32 हैक्टेयर में जरियें विरासतन से गुलाराम, राजकुमार पिता घासीराम, बसन्ति पत्नि घासीराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम तिहावली के नाम दर्ज है। ग्राम में पूछताछ करने पर पाया गया कि वादीगण को जुगलकिशोर, राजेन्द्र कुमार पिता घीसाराम , बसन्ति पत्नि घीसाराम के नाम से भी पहचाना जाता है तथा मृतक खातेदार घीसाराम के गुलाराम व राजकुमार नाम के कोई पुत्र नही है। प्रार्थीगण के पहचान संबंधी दस्तावेजात में भी जुगलकिशोर, राजेन्द्र कुमार पिता घीसाराम, बसन्ति पत्नि घीसाराम दर्ज है।

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर एकमात्र जमाबंदी संवत 2074–77 के अलावा अन्य जमाबंदी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसमे प्रार्थी संख्या 3 बसंती के पति का नाम व गुलाराम, राजकुमार के पिता का नाम घासीराम दर्ज है। इस जमाबंदी के अवलोकन से यह साबित नहीं होता है कि प्रार्थीगण किस प्रकार अपना क्लेम प्रस्तुत कर रहे है। उक्त जमाबंदी की पूर्ववर्ती जमाबंदी अथवा राजस्व अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे प्रार्थी संख्या 1, 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति का नाम घीसाराम का जमाबंदी में नाम अंकन पुष्ट हो इसलिए प्रार्थीगण का क्लेम पोषित नहीं हो सकता है ।

प्रार्थी 1, 2 द्वारा अपने पिता के नाम का संशोधन के साथ स्वयं के नाम का भी संशोधन करवाने का अनुरोध किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि होना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा समुचित दस्तावेज न्यायालय की जानकारी में नहीं लाए जाने के कारण प्रार्थीगण के क्लेम को स्वीकार किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है ।

–:आदेशः–

आदेश है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

Scanned by CamScanner